न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या– 39 / 2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 सद्दाम हुसैन पुत्र सरताज, मालिक होटल श्री सांवरिया सेठ, गेन तालाब के सामने नागौर–अजमेर रोड, मुण्डवा, जिला नागौर। 2 जुसुब पुत्र दाउद खां निवासी बासनी हरिसिंह तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर। 3 मुन्नाराम पुत्र लिखमाराम निवासी धारणावास नगरी, नागौर।

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री प्रेमसुख फिडौदा, अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –20.05.2026

1– प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज कुल 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ / डीजल, मोबाइल बाउजर वाहन संख्या RJ21 GB 9168, 6 प्लास्टिक टंकियां मय नीले रंग के ढक्कन, इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP Make Lubi, 02 सफेद रंग का 1 इंच मोटाई 2020 फिट लम्बाई पीवीसी पाइप, 25 फिट लम्बा हरे रंग का 1.5 इंच का मोटाई का प्लास्टिक पाइप, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 2 इंच मोटा व 9–10 फिट लम्बा, 01 हरे रंग का 1.5 इंच मोटा 20 फिट लम्बा प्लास्टिक पाइप को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री प्रेमसुख फिडौदा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 03 मुन्नाराम पुत्र लिखमाराम निवासी धारणावास नगरी, नागौर की ओर से आम मुख्त्यारनामा श्री विरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी नजदीक रावत, मिष्ठान भंडार, नंदरी रूरल, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर पेश कर आम मुख्त्यार श्री विरेन्द्र की ओर से श्री प्रेमसुख फिडौदा ने ही वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 25.08.2025 को अपना जवाब पेश किया।

2–उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 03.05.2025 को मुखबिर से नागौर–अजमेर रोड़ गेन तालाब के सामने बने होटल श्री सांवरिया सेठ में अवैध डीजल के भण्डारण व विक्रय की प्राप्त सूचना पर वृताधिकारी मुण्डवा पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना मूण्डवा मय पुलिस जाब्ता, जिला रसद अधिकारी नागौर मय प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक होटल श्री सांवरिया सेठ गेन तालाब के सामने नागौर– अजमेर रोड़ पर पहुंचे। मौके पर श्री सद्दाम हुसैन पुत्र श्री सरताज मिले जिन्होंने स्वयं को होटल व परिसर का मालिक होना बताया। श्री सद्दाम हुसैन की उपस्थिति में होटल श्री सांवरिया सेठ व परिसर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होटल के पीछे एक इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP क्षमता Make Lubi पाई गई। उक्त इलेक्ट्रिक मोटर के दोनों सिरों पर (इनपुट–आऊटपुट) प्लास्टिक पाइप लगे हुए पाये गये। इनपुट पाइप की मोटाई 2 इंच व लम्बाई लगभग 10 फिट है व रंग हरा है। इलेक्ट्रिक मोटर से लगा आऊटपुट पाईप होटल की छत पर ऊपर की ओर जा रहा दिखाई देने पर होटल के छत पर जाकर निरीक्षण करने पर होटल के छत पर सफेद रंग की कुल 6 प्लास्टिक टंकिया रखी हुई पाई गई जिनकी भण्डारण क्षमता प्रति टंकी 1100 लीटर है। सभी 6 प्लास्टिक टंकियां नीले रंग के ढक्कनों से ढकी हुई पाई गई जिनके ढक्कनों को खोलकर निरीक्षण करने पर प्रत्येक प्लास्टिक टंकी में तरल से लगभग 200 लीटर भरी हुई पाई गई। होटल के छत पर रखी सभी 06 प्लास्टिक टंकियां एक सफेद रंग के एक इंच की मोटाई व 20 फिट लम्बाई के पीवीसी पाइप से आउटलेट के रूप में सेन्ट्रली जुडी हुई पाई गई। उक्त पीवीसी पाइप के अंतिम सिरे

20/5/26

अपर कलक्टर, नागौर

पर एक वॉल्व लगा हुआ पाया गया। वॉल्व से आगे हरे रंग का 1.5 इंच मोटाई व लगभग 25 फिट लम्बाई का एक प्लास्टिक पाइप लगा हुआ था जो छत से नीचे धरातल तक लटक रहा था जो टकियों से तरल को बाहर निकालने का आऊटपुट पाइप है। मौके पर उपस्थित श्री सद्दाम हुसैन से पूछताछ करने पर बताया कि इन टंकियों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है जिसका उपयोग डीजल के रूप में विक्रय हेतु किया जाता है। पूछताछ में श्री सद्दाम हुसैन ने बताया कि गुजरात से टैंकर में माल आता है। टैंकर को होटल के पीछे खड़ा करके इलेक्ट्रिक मोटर से प्लॉस्टिक पाइप के जरिये छत पर रखी प्लास्टिक टकियों को भरा जाता है। पूछताछ के दौरान बताया कि छत पर रखी टकियों में भरे हुए माल को होटल के सामने खडे पिकअप मोबाइल बाउजर वाहन से RJ21 GB 9168 वाले को बेचता हूँ। यह मोबाइल बाउजर मेरा नहीं है। यह मोबाइल बाऊजर लगभग 2–3 माह से यहीं खड़ा रहता है, जिस पर डीजल के विक्रय का कार्य श्री जुसुब पुत्र श्री दाऊद खाँ करता है। श्री सद्दाम हुसैन से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय के सम्बन्ध में अनुज्ञा–पत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर इन्होंने इस सम्बन्ध में उनके पास किसी का अनुज्ञा–पत्र के आवश्यक दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। मौके से उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के घनत्व मापन हेतु श्री रोहित जैन सेल्स ऑफिसर IOCL नागौर को दूरभाष पर मौके पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया। होटल श्री सांवरिया सेठ के सामने खडे मोबाइल बाउजर वाहन से RJ21 GB 9168 के पास खड़े व्यक्ति से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम जुसुब पुत्र श्री दाऊद खां उम्र 25 वर्ष निवासी बासनी हरिसिंह तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर बताया। श्री जुसुब की उपस्थिति में मोबाइल बाऊजर का निरीक्षण किया। वाहन पर एक टैंकर बना है जिसके पीछे एक डिस्पेशिंग यूनिट व एक नोजल लगा हुआ पाया गया। डिस्पेशिंग यूनिट पर एक इलेक्ट्रोनिक मीटर लगा हुआ पाया गया जो टैंक से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित करता है। श्री जुसुब ने बताया कि वह इस मोबाइल बाउजर पर सेल्समेन का कार्य करता है। श्री जुसुब ने बताया कि वह श्री सद्दाम हुसैन से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद कर हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को विक्रय करता हूँ। श्री जुसुब ने बताया कि वाहन पर बने टैंकर की क्षमता 2100 लीटर है। जैसे ही मोबाइल बाउजर में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री हो जाती है तो मैं छत पर रखी टंकियों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ से बाउजर पुनः भर लेता हूँ। मोबाइल बाऊजर पर चढकर डिप रोड से मापन करने पर टैंक में 2000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारित पाया गया। श्री जुसुब से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय के संबंध में अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मागे जाने पर नहीं होना बताया। मोबाइल बाऊजर की RC व अन्य दस्तावेज भी श्री जुसुब ने अपने पास नहीं होना बताया। मौके पर श्री रोहित जैन सेल्स ऑफीसर IOCL मो. नं 9057750073 पेट्रोल पम्प के कार्मिक के साथ घनत्व मापन सामग्री लेकर उपस्थित हुए। श्री सद्दाम हुसैन की उपस्थिति में छत पर रखी सभी 6 प्लास्टिक टंकियों से बराबर मात्रा में एक स्वच्छ एल्युमिनियम की बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर घनत्व (density) मापी गई जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग (घनत्व) 805, तापमान 43 C पर ASTM टेबल की सहायता से 15C पर परिवर्तित करने पर 824.8 kg/m3 पाया श्री रोहित जैन सेल्स ऑफिसर IOCL ने बताया कि उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का घनत्त्व डीजल के समकक्ष है जो प्रथम दृष्टया डीजल प्रतीत होता है। श्री सद्दाम हुसैन द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा–पत्र आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने पर श्री सद्दाम हुसैन का यह कृत्य MS and HSD (Regulation of supply, distribution & prevention of mal practice) Order 2005 का उल्लंघन किया जाना पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर मौजूद लगभग 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल 6 प्लास्टिक केनों में भरे मिले तथा इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP Make lubi, 02 नोजल रंग का 1 इंच मोटाई 2020 फीट लम्बाई पीवीसी पाइप, 25 फीट लम्बा हरे रंग का 1.5 इंच मोटाई का प्लास्टिक पाइप, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 2 इंच मोटा व 9–10 फीट लम्बा, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 1.5 इंच मोटा 20 फीट लम्बा मौके पर अवैध मानते हुए श्री सद्दाम हुसैन से अपने कब्जे में लेकर जब्त सरकार किया गया। एल्यूमिनियम बाल्टी में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ को नमूना हेतु एल्यूमिनियम पात्र को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर तीन पात्रों में प्रति पात्र 1000 उस भरा गया। तीनों पात्रों को आवश्यक प्रक्रिया अनुसार सीलबंद कर तीनों को क्रमशः A1, A2, A3 दिया गया। नमूना A1 को प्लास्टिक सील संख्या 3876117 से, नमूना A2 को प्लास्टिक सील संख्या 3876120 से व प्लास्टिक सील संख्या A3 को नम्बर 3876122 से सीलबंद किया गया। नमूना A1 को FSL जांच के लिए भेजा गया, नमूना क्रमांक A2 को न्यायालय में पेश करने हेतु रखा गया तथा नमूना क्रमांक A3 को कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिया गया। श्री रोहित जैन सेल्स ऑफिसर IOCL व श्री जुसब की उपस्थिति में मोबाइल वाउचर वाहन संख्या RJ21 GB 9168 के डिस्पेंसिंग यूनिट के नोजल से एक एल्यूमिनियम बाल्टी में पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर घनत्व मापन करने पर हाइड्रोमीटर रीडिंग (तापमान 43C ASTM टेबल के अनुसार 15C पर परिवर्तित करने पर) 824.8 kg/m3 पाया गया। यह घनत्व डीजल के समकक्ष है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पट्रोलियम पदार्थ डीजल प्रतीत होता है। श्री जुसुफ द्वारा मौके पर पेट्रोलियम पदार्थ खरीद व विक्रय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अनुज्ञप्ति व अन्य

20/5/26

अपर कलक्टर, नागौर

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रथम दृष्टया यह कृत्य HSD Order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर वाहन RJ21 GB 9168 मय पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल को अवैध मानते हुए श्री जुसुब से अपने कब्जे में लेकर जब्त किया गया। मोबाइल से निकालत एल्यूमिनियम बाल्टी में भरे हुए पट्रोलियम पदार्थ को नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले एल्यूमिनियम पात्रों को इसी पट्रोलियम पदार्थ से साफ कर तीन पात्रों में प्रति पात्र 1000 एमएल. उस पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया व तीनों पात्रों को आवश्यक सूचनाए चस्पा कर तीनों नमूनों का मार्का B1, B2 B3 दिया गया। नमूना B1 को प्लास्टिक सील संख्या 3876177 से, B2 को 3876172 से व B3 को 3876176 से सीलबंद किया गया। नमूना B1 को FSL जांच हेतु भेजा गया, नमूना क्रमांक B2 को श्री जुसुफ का सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये व नमूना क्रमांक B3 को कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिया गया। मोबाइल बाउजर के टैंक के ऊपरी ढक्कन को प्लास्टिक सील सं. 3876173, डिस्पेंशिंग यूनिट को 3876118 से सील्ड किया गया। होटल श्री सांवरिया सेठ की छत पर रखी टंकियों में भरे 1200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को तीन ड्रमों व एक चोकोर प्लास्टिक टंकी में खाली किया गया। तीनों ड्रमों में कुल 600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया व चोकोर टंकी में 600 लीटर डीजल/पेट्रोलियम पदार्थ भरा गया। इस प्रकार छत पर रखी 6 प्लास्टिक टंकियों (रिक्त) को नीचे उतारकर एक टंकी को सोल्युशन व कैप मंगवा कर टंकी के नीचे खुले होल को सोल्युशन व केप लगाकर बन्द किया गया। चोकोर टंकी में भरे हुए 600 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को इस प्लास्टिक टंकी में भरा गया जिसको प्लास्टिक की तीन सीलों संख्या 3876112, 3876116 व 3876174 से सील्ड से किया गया । तीन ड्रमों में प्रत्येक ड्रम को 2–2 प्लास्टिक सील से सील्ड किया गया। ड्रम A को प्लास्टिक सील संख्या–3876181 व 3876180 से, ड्रम B को 3876183 व 3876184 से व ड्रम C को 3876178 व 3876182 से सील्ड किया गया। उपरोक्त जब्तशुदा समस्त सामग्री मय वाहन संख्या RJ21 GB 9168 मय 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को पुलिस थाना मूण्डवा में लाकर प्रभारी मालखाना पुलिस थाना मूण्डवा की सुपुर्दगी में प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु दिया जाकर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मौका मय फर्द जब्ती/फर्द नमूना/सुपुर्दगीनामा मौके पर लिखा गया व पढ़कर सही जानकर बिना दबाव के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त वर्णित समस्त सामग्री, वाहन, पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल मय मूल फर्दमौका मय फर्द जब्ती/फर्द नमूना / सुपुर्दगीनामा दिनांक 03.05.2025 थानाधिकारी पुलिस थाना मूण्डवा को सुपुर्द कर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही हेतु कहा गया। Regional forensic science Loboratory Jodhpur की जॉच रिपोर्ट क्रमांक–RFSL(JOD)/1862/CAE/49/25 Date 28-11-2025 में बताया गया है कि "The liquid sample contained in each of packet marked A1 and B1 confirmed the BIS specification for diesel (IS-1460:2021) in respect of distillation characteristics, flash point, kinematic viscosity at 40°c and density at 15°c" उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल पाया गया है।

अतः अपनी बहस में बताया कि प्रकरण मे जब्तशुदा कुल 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल, मोबाइल बाउजर वाहन संख्या RJ21 GB 9168 6 प्लास्टिक टंकियां मय नीले रंग के ढक्कन, इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP Make Lubi, 02 सफेद रंग का 1 इंच मोटाई 20+20 फिट लम्बाई पीवीसी पाइप, 25 फिट लम्बा हरे रंग का 1.5 इंच मोटाई का प्लास्टिक पाइप, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 2 इंच मोटा व 9–10 फिट लम्बा, 01 हरे रंग का 1.5 इंच मोटा 20 फिट लम्बा प्लास्टिक पाइप को समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने अपनी बहस में बताया कि मुखबीर ने सूचना गलत दी गई थी किसी तरह के अवैध डीजल का न तो भण्डारण किया हुआ था और न ही अवैध विक्रय हो रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उक्त होटल पर पेट्रॉलियम पदार्थ मानकर 2200 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है। बायोडीजल किसी तरह से पेट्रोलियम पदार्थ की परिभाषा में नहीं आता है। बायोडीजल जो ड्रॉप इन फ्यूल की परिभाषा में आता है। यह एक जैविक ईंधन है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 का अवलोकन करें तो धारा 2ए (VIII) में पेट्रॉलियम व पेट्रॉलियम पदार्थ को ही आवश्यक वस्तु बताया गया है जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विनिर्दिष्ट रूप से बायो डीजल को आवश्यक वस्तु नहीं माना गया है तथा बायोडीजल EC Act के अन्तर्गत नहीं आता है। My Own Eco Energy Private Ltd. V,s Unian Bank of India के प्रकरण में बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1975 मे बायोडीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत पेट्रॉलियम पदार्थ नहीं मानकर आवश्यक वस्तुत अधिनियम का अपराध कारित नहीं किया हुआ बताया है। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.05.2025 से भी बायो डीजल बैचने खरीदने की छूट दे रखी है। इस कारण उपरोक्त अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता, जिसमें प्रकरण हाजा में उक्त बायो डीजल एवं गाडी नम्बर आर. जे. 21 जी. बी. 9168 तथा अन्य सामान गलत रूप से जब्त किया तथा उक्त सामान, बायो डीजल व वाहन कानूनन अवैध जब्ती है। प्रकरण हाजा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 67/25 पी.एस. मूण्डवा अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त हो रखा है। प्रकरण सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, जालोर

4—उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। वृताधिकारी मूण्डवा, थानाधिकारी पुलिस थाना मूण्डवा मय पुलिस जाब्ता, जिला रसद अधिकारी नागौर मय प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जॉच की। मौका निरीक्षण करने पर 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल, मोबाइल बाउजर वाहन संख्या RJ21 GB 9168, 6 प्लास्टिक टंकियां मय नीले रंग के ढक्कन, इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP Make Lubi, 02 सफेद रंग का 1 इंच मोटाई 20+20 फिट लम्बाई पीवीसी पाइप, 25 फिट लम्बा हरे रंग का 1.5 इंच मोटाई का प्लास्टिक पाइप, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 2 इंच मोटा व 9—10 फिट लम्बा, 01 हरे रंग का 1.5 इंच मोटा 20 फिट लम्बा प्लास्टिक पाइप मौके पर पाया गया। Regional forensic science Loboratory Jodhpur की जॉच रिपोर्ट कमांक—RFSL(JOD)/1862/CAE/49/25 Date 28-11-2025 में बताया गया है कि "The liquid sample contained in each of packet marked A1 and B1 confirmed the BIS specification for diesel (IS-1460:2021) in respect of distillation characteristics, flash point, kinematic viscosity at 40°c and density at 15°c" उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ डीजल पाया गया है। मौके पर अप्रार्थी श्री जुसुब पुत्र श्री दाउद खां से पुछताछ करने पर उसके पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण/विकय से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य MS &HSD (Regulation of Supply, distruibutiaon & prevention of mal practices) Order 2005 का खण्ड—3(4)Product Supply and transporation:- No person other than the dealer or Oil Company shall be engaged in the business of selling product; (5) No person shall sell or agree to sell any petroleum product or its mixture other than Motor spirit or High speed diesel or any other fuel authorized by the Central Government in any form, under any name, brand or nomenclature, which can be and meant to be used as fuel in any type of automobile vehicles fitted with spark ignition engines or compression ignition engines, खण्ड—4 Restriction on Marketing of Motor sprit and High speed diesel- No person, other than those authorize by the Central Government, shall market and sell Motor spirit or High speed diesel to consumers or dealers. का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल, मोबाइल बाउजर वाहन संख्या RJ21 GB 9168, 6 प्लास्टिक टंकियां मय नीले रंग के ढक्कन, इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP Make Lubi, 02 सफेद रंग का 1 इंच मोटाई 20+20 फिट लम्बाई पीवीसी पाइप, 25 फिट लम्बा हरे रंग का 1.5 इंच मोटाई का प्लास्टिक पाइप, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 2 इंच मोटा व 9—10 फिट लम्बा, 01 हरे रंग का 1.5 इंच मोटा 20 फिट लम्बा प्लास्टिक पाइप को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में जब्तशुदा 3200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/डीजल, 6 प्लास्टिक टंकियां मय नीले रंग के ढक्कन, इलेक्ट्रिक मोटर 1.5 HP Make Lubi, 02 सफेद रंग का 1 इंच मोटाई 20+20 फिट लम्बाई पीवीसी पाइप, 25 फिट लम्बा हरे रंग का 1.5 इंच मोटाई का प्लास्टिक पाइप, 01 हरे रंग का प्लास्टिक पाइप 2 इंच मोटा व 9—10 फिट लम्बा, 01 हरे रंग का 1.5 इंच मोटा 20 फिट लम्बा प्लास्टिक पाइप का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की याचिका नम्बर 705/26 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 की पालना में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 12.02.26 द्वारा जब्तशुदा टेंकर संख्या RJ21 GB 9168 एवं 3200लीटर बायोडीजल, पांच—पांच लाख रूपये की सोल्वेट जमानते एवं बंधपत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 तथा अप्रार्थी संख्या— 03 मुन्नाराम पुत्र लिखमाराम के आममुख्यत्यारनामा श्री विरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप को सुपुर्द किया गया तथा अप्रार्थीगण को निर्देशित किया गया कि यह सुपुर्दगी पूर्णतः अन्तरिम है और प्रकरण के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी। न्यायालय उक्त टैंकर मय बायोडीजल को तलब करेगा तब अप्रार्थीगण स्वयं अपने खर्चे पर उक्त टैंकर व बायोडीजल को न्यायालय हाजा में पेश करने हेतु बाध्य रहेगा। चूंकि उक्त जब्तसुदा बायोडीजल Regional forensic Science Laboratory Jodhpur की उपर्युक्त रिपोर्ट दिनांक 28.11.2025 के अनुसार डीजल होना पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश के 03 दिवस के भीतर उक्त वाहन मय 3200 लीटर डीजल, थानाधिकारी, पुलिस थाना मूण्डवा के समक्ष भौतिक रूप से समर्पित (Surrender) करें। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वाहन मय 3200 लीटर डीजल के समर्पित (Surrender) करने पर थानाधिकारी पुलिस थाना मूण्डवा उक्त वाहन मय 3200 लीटर डीजल को अविलम्ब जिला रसद अधिकारी नागौर को सुपुर्द करें।

20/5/26

अपर कलक्टर, नागौर

यदि अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित अवधि में उक्त वाहन मय 3200 लीटर डीजल समर्पित नहीं किया जाता है, तो थानाधिकारी, पुलिस थाना मूण्डवा को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलंब उक्त वाहन मय 3200 लीटर डीजल को जब्त कर जिला रसद अधिकारी नागौर को सुपुर्द करे। जिला रसद अधिकारी (DSO), नागौर को निर्देशित किया जाता है कि वे थानाधिकारी पुलिस थाना मुण्डवा द्वारा उक्त वाहन मय 3200 लीटर डीजल उन्हें सुपुर्द किये जाने पर उक्त 3200 लीटर डीजल की नियमानुसार जांच कर, जांच में डीजल पाये जाने पर उक्त डीजल का उपर्युक्त निर्देशानुसार कीमतन निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। थानाधिकारी, पुलिस थाना मूण्डवा एवं जिला रसद अधिकारी, नागौर को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश की पालाना में की गई कार्यवाही से 45 दिन में इस कार्यालय को अवगत करावे।

प्रकरण में जब्तसुदा वाहन RJ21 GB 9168 का समपहरण (Confiscate) करने के विकल्प में अप्रार्थी संख्या 03 मुनाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी धारनावास तहसील खींवसर के आम मुख्त्यारनामा श्री विरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप पर रूपये 50,000/—अक्षरे पचास हजार रूपये शस्ति अधिरोपित की जाती है, अप्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तसुदा पिकअप वाहन RJ21 GB 9168 को मुक्त करने के आदेश दिया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा 30 दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर वाहन RJ21 GB 9168 को नीलाम कर, नीलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते है एव उक्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5— निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/3/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर